



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37()परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्थाना/2017/2265 जयपुर दिनांक: 21.5.18


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, श्रीगंगानगर।

विषय:- स्थानान्तरण निरस्त किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला परिषद श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक जिपग/स्था/4241 दिनांक 10.05.2018 के द्वारा श्री भोम सिंह, कनिष्ठ सहायक का पंचायत समिति अनूपगढ से पंचायत समिति श्रीगंगानगर एवं श्री संदीप कुमार, कनिष्ठ सहायक का पंचायत समिति अनूपगढ से पंचायत समिति श्रीगंगानगर में स्थानान्तरण किया गया है।


अतः निर्देशानुसार लेख है कि श्री भोम सिंह, कनिष्ठ सहायक एवं श्री संदीप कुमार, कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण तत्काल निरस्त किया जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महो०, ग्रा.वि.पं.राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अनूपगढ/श्रीगंगानगर।
5. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव